पत्र संख्या-3/एम-90/2005 का०-212

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक-23.01.2006

विषय : बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के सेवाओं/संवर्गों में भरती हेतु उम्र के निर्धारण के सबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सेवाओं/सवर्गों में नियुक्ति की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा लोक सेवा आयोग को समयानुसार वार्षिक रिक्ति के आधार पर अधियाचना नहीं भेजे जाने के कारण प्रतिवर्ष नियुक्ति की कार्रवाई नहीं होती है। इसके कारण एक ओर तो कई योग्य उम्मीदवारों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता है तो दूसरी ओर नियमित नियुक्ति नहीं होने से कार्मिक प्रबंधन में कठिनाई होती है और अनावश्यक विवाद के कारण मामला न्यायालय में लम्बित रह जाता है।

2. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-11013 दिनांक 17.06.77 द्वारा अधियाचना भेजने हेतु एक समय सारणी परिचारित की गई थी। उक्त परिपत्र के अनुसार प्रति वर्ष रिक्तियों का आकलन पहली अप्रिल की स्थिति के अनुसार करते हुए 30 प्रतिशत तक अधियाचना आयोग को भेजी जानी थी। तदनुसार आयोग द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन 15 जुलाई तक कर दिया जाना था। उक्त आधार पर नियुक्ति हेतु कट ऑफ डेट का निर्धारण 01 अगस्त किया गया था। परन्तु हाल के वर्षो में उक्त समय सारणी का अनुपालन नहीं होने के कारण राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गो में नियमित रूप से नियुक्ति की कार्रावाई संभव नहीं हो पा रही है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि रिक्तियों का आकलन प्रतिवर्ष किया जाए तथा तदनुसार आयोग को अधियाचना प्रतिवर्ष भेजना सुनिश्चित किया जाए। परन्तु यदि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं हो सके तो वैसी स्थिति में जो उम्मीदवार अंतिम विज्ञापन/परीक्षा के समय उम्र के आधार पर पात्रता रखते थे। और उसके बाद भी अगले वर्ष या उसके बाद वाले वर्ष में भी परीक्षा होने पर परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर योग्य होते, परन्तु विज्ञापन नहीं होने के कारण अधिकतम उम्र सीमा पार कर जाते हैं और कार्यक्रम में अगली परीक्षा हेतु विज्ञापन निकालते समय उम्र सीमा के आधार पर अयोग्य हो जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों को ऐसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाए तथा मात्र उम्र के आधार पर अयोग्य होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाए।

4. इस संबंध में उदाहरणास्वरुप यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्व में अंतिम विज्ञापन वर्ष 1994 में हुआ हो तथा वर्ष 1995 में या उसके बाद विज्ञापन नहीं हो सका हो तो ऐसे सभी उम्मीदवार जो वर्ष 1995 में परीक्षा होने पर अधिकतम उम्र सीमा पार नहीं कर गए होते तथा उसके बाद के वर्षो में उम्र सीमा पार कर लेते हैं तो अगली परीक्षा यदि वर्ष 2000 में भी आयोजित हो तो उन्हें मात्र वर्ष 2000 की परीक्षा में भाग लेने हेतु उम्र सीमा के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाए।

5. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन

(राजीव लोचन)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 1561 दिनांक 10/2/06

ग्रा0वि0/एम0 (चतुर्थ) 06/03

प्रतिलिपि : विभाग में सभी पदाधिकारियों/सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनिवार्य प्रेषित।

उप0 सचिव